न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई०ए०एस०

राजस्व अपील सं. 20/2019

अपीलांट्स– *बनाम* **रेस्पोडेंट्स–**

1. जामा पुत्री सिकिया पत्नी मीरा
2. मलूका पुत्री सिकिया पत्नी मोलाबक्श
3. सरमा पुत्री सिकिया पत्नी ईसा खान

जाति मुसलमान निवासी काने का गांव, तहसील शिव जिला बाड़मेर

बनाम

1. गाजी पुत्र सिकिया
2. रहमान पुत्र सिकिया
3. हनीफ पुत्र सिकिया
4. गुला पुत्र सिकिया के कायम मुकाम–

4.1 उम्मेदी पत्नी गुला

4.2 जाकब पुत्र गुला

4.3 जोकर पुत्र गुला

जाति मुसलमान निवासी काने का गांव, तहसील शिव जिला बाड़मेर

5. कायमी पत्नी सलीम जाति मुसलमान निवासी सुजे का गांव तहसील शिव जिला बाड़मेर
6. तहसीलदार शिव

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 120 दिनांक 25.05.1989 जो तहसीलदार शिव द्वारा स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री पवन सिंहल, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री अलसाराम, अधिवक्ता रेस्पो० सं. 1से4 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 5 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।
4. रेस्पोडेंट सं. 6 प्रफॉर्मा पक्षकार।

Signature Not Verified

निर्णय

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:42:40 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक : 10.08.2021

1. अपीलांट्स की ओर से ... धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम काने का गांव के नामान्तरकरण सं. ... पर

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

तहसीलदार शिव द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 25.05.1989 के विरूद्ध दिनांक 12.06.2019 को प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा काने का गांव के खसरा नम्बर 40, 143 रकबा क्रमशः 118-07, 04-02 बीघा भूमि सकिया, इमाम पि0 फोजा मुसलमान साकिन देह खातेदार के नाम से दर्ज थी। उक्त खातेदार सकिया के फोत होने पर हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सं. 120 में मृतक सकिया के वारीस के रूप में गुला, गाजी, रहमान, हनीफ पि0 सकिया मु. मेहरा बेवा सकिया के नाम दर्ज कर तहसीलदार शिव के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे तहसीलदार शिव द्वारा प्रशासन गांवो की ओर केम्प स्वामी का गांव में दिनांक 25.05.1989 को स्वीकृत कर दिया। अपीलांट ने तहसीलदार शिव द्वारा उक्त नामान्तरकरण के स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 12.06.2019 को प्रस्तुत की गई हैं। इस अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया हैं।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को सुना। अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट सं. 1से4 के पूर्वज सिकिया उर्फ सिकन्दर की खातेदारी की भूमि मौजा काने का गांव के खसरा नम्बर 40 रकबा 118-07 बीघा एवं खसरा नम्बर 143 रकबा 04-07 बीघा भूमि वक्त सैटलमेंट से आई हुई हैं। अपीलांट्स एवं रेस्पो0 सं. 1से4 के पूर्वज एवं अपीलांट्स मुस्लिम विधि से शासित होते हैं तथा मृतक सिकिया निर्वसीयती फोत होने से उसकी खातेदारी भूमि में मुस्लिम विधि के अनुसार विरासत के अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके अन्तर्गत अपीलांट्स जायन्दा पुत्रियां होने से उनका संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा बनता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक के सम्पूर्ण वारीसान के बारे में जांच किये बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया। इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:42:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते
जिला कलक्टर
बाड़मेर

आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 120 मुस्लिम विधि में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप नही होने से अपास्त योग्य हैं।

5. अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि अपीलांट्स को अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 120 की स्वीकृति आदेश दिनांक 25.05.1989 की जानकारी नहीं हो सकी, क्योंकि अपीलांट्स अशिक्षित एवं कानून की जानकारी नहीं होने के कारण रेस्पो0 द्वारा सजिशी तरीके से पारित नामान्तरकरण की जानकारी नहीं होने दी गई। आज से अर्सा 15–20 दिन पूर्व रेस्पो0 सं. 1से4 व 5 द्वारा अपीलांट्स के हिस्सा एवं कब्जा की भूमि में दखलदांजी व हस्तक्षेप कर बेदखल करने का प्रयास किया तब अपीलांट्स द्वारा राजस्व रेकर्ड व नामान्तरकरण सं. 120 की प्रमाणित प्रति प्राप्त की तब सर्वप्रथम दिनांक 28.05.2019 को हुई। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी होने पर यह अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई हैं तथा सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। अपीलाधीन आदेश विधि के प्रावधानों के विरूद्ध पारित किया गया हैं तथा मयाद अधिनियम की धारा 3 के तहत प्राविधित हैं कि विधि विरूद्ध आदेश जो किसी भी पक्षकार के हितों के विपरित पारित किया गया हैं तो उसको चुन्नौति देने के लिये मयाद बाधित नही हैं। अतः अपीलांट्स की अपील अन्दर मयाद शुमार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण अपास्त फरमाया जावें तथा राजस्व रेकर्ड में अपीलांट्स के नाम अपने पिता की पैतृक भूमि में मुस्लिम विधि के अनुरूप हिस्सा में दर्ज करने का आदेश फरमावें।

6. हमने अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता हैं कि मौजा काने का गांव के खसरा नम्बर 40, 143 रकबा क्रमशः 118–07, 04–02 बीघा भूमि सकिया, इमाम पि0 फोजा मुसलमान साकिन देह खातेदार के नाम से दर्ज थी। उक्त खातेदार सकिया के फोत होने पर हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सं. 120 में मृतक सकिया के वारीस के रूप में गुला, गाजी, रहमान, हनीफ पि0 सकिया म. मेहरा बेवा सकिया के नाम दर्ज कर तहसीलदार शिव के समक्ष प्रस्तुत [illegible] जिसे तहसीलदार शिव द्वारा प्रशासन गांवो की ओर [illegible] दिनांक 25.05.1989 को स्वीकृत कर दिया। अ[illegible] शिव द्वारा उक्त नामान्तरकरण के स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह [illegible]म अपील धारा 75 राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:42:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाडमेर

भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 12.06.2019 को प्रस्तुत की गई हैं। इस अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया हैं। अपीलांट्स के अधिवक्ता का विधि के बिन्दु पर कथन हैं कि अपीलांट्स के पिता सिकिया मुस्लिम विधि से शासित थे तथा निर्वसीयती फोत हुए हैं इस आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण मुस्लिम विरासत विधि अनुसार पारित किया जाना चाहिए था। अपीलांट्स मृतक सिकिया की जायन्दा पुत्रियां हैं जिनका विरासत में संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा बनता हैं। अपीलाधीन नामान्तरकरण का अवलोकन करने से पाया जाता हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक सिकिया के चार पुत्रों गुला, माजी, रहमान, हनीफ व पत्नी मेहरा का नाम उत्तराधिकारी के रूप में दर्ज किया गया हैं। अपीलाधीन नामान्तरकरण प्रशासन गांवों की ओर राजस्व अभियान के दौरान पारित किया गया हैं तथा उक्त नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व मृतक उत्तराधिकारियों की जांच एवं उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रतीत नहीं होता हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृति से पूर्व वारीसान की जांच एवं अपीलांट्स को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया तथा नामान्तरकरण एकपक्षीय पारित किया गया हैं, जो त्रुटिपूर्ण होने से उसे जरिये अपील चुनौती दिये जाने हेतु मयाद के बिन्दु पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना न्यायोचित हैं। अपीलाधीन नामान्तरकरण विरासत का स्वीकृत किया गया हैं जिसमें मृतक की व्यक्तिगत विधि के प्रावधानों का पालन किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी था। अपीलांट्स के अधिवक्ता के अनुसार मृतक सिकिया निर्वसीयती फोत हुआ था तथा मुस्लिम विधि से शासित था ऐसे में उसके समस्त वारीसान के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं किये जाने से अपीलाधीन नामान्तरकरण बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं। चुंकि अपीलाधीन नामान्तरकरण एकपक्षीय पारित किया गया हैं तथा अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं जिससे उन्हे उक्त नामान्तरकरण की तत्समय जानकारी नहीं होने का कथन सद्भाविक प्रतीत होता हैं तथा इस आधार पर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा [illegible] कर अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती हैं तथा उपर्युक्त [illegible] स्वीकार योग्य प्रतीत होती हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:42:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राज.)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार शिव द्वारा मौजा काने का गांव के स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 120 को अपास्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार शिव को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि मृतक सिकिया के वास्तविक वारीसान की जांच एवं उनको नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए मृतक की व्यक्गित विधि में लागू प्रावधानों के अनुसरण में नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

8. निर्णय आज दिनांक 10.08.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Lok

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:42:40 IST
Reason: SelfAttested